प्रेस विज्ञप्ति

18-03-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17/03/2026 को मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक किशन मोदी से संबंधित 20.59 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 29.08.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 0492/2023 और भोपाल के ईओडब्ल्यू द्वारा दिनांक 22.07.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 0027 के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच में पता चला कि 'मिल्क मैजिक' ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पाद सप्लाई करने वाली कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से बदलकर मिलावटी दुग्ध उत्पाद बनाने में शामिल थी। ये उत्पाद न केवल घरेलू बाजार में बेचे जाते थे, बल्कि विभिन्न देशों को निर्यात भी किए जाते थे। इस प्रकार के निर्यात को सुगम बनाने के लिए, प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की जाली प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टें निर्यात मंजूरी प्राप्त करने हेतु इंदौर स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) के समक्ष प्रस्तुत की गईं। हालांकि, संबंधित प्रयोगशालाओं से सत्यापन करने पर पता चला कि ऐसी कई रिपोर्टें जाली थीं और उनके द्वारा जारी नहीं की गई थीं।

आगे की जांच से पता चला कि इन जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर, मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्यात किया और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में रखे अपने बैंक खातों में निर्यात आय प्राप्त की। जांच से पता चला है कि जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों द्वारा समर्थित निर्यात के माध्यम से लगभग 20.59 करोड़ रुपये की निर्यात आय अर्जित की गई थी, जिसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध की आय के रूप में पहचाना गया है।

इससे पहले, ईडी ने किशन मोदी को पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत 13.03.2026 को गिरफ्तार किया था और उन्हें 18.03.2026 तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। इसके बाद, न्यायालय ने 18.03.2026 के आदेश द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।